संख्या-1314/2025/3119/22-2-2023-17(942)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू पुत्र श्री रजऊ कश्यप, निवासी जनपद-बलरामपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-23888/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-06.07.2023) दिनांक-24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू पुत्र श्री रजऊ कश्यप, ग्राम-जैतापुर, थाना-गौरा, जनपद-बलरामपुर का निवासी है। श्रीमती लक्ष्मी द्वारा मृतक के साथ उसके घर पर रहने लगी थी, इसी रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2008 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तेजाब डालकर रज्जन कश्यप को गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1401/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 458 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10, लखनऊ के आदेश दिनांक 28.08.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ, खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है, बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2023 तक 14 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 02 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 31.01.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा तेजाब फेंक कर हत्या करने के आपराध की गम्भीरता को देखते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि श्रीमती लक्ष्मी रज्जन (मृतक) के साथ उसके घर पर रहने लगी थी, इसी रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2008 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तेजाब डालकर रज्जन कश्यप की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजू पुत्र रजऊ कश्यप को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू (बन्दी संख्या-1056/12) पुत्र श्री रजऊ कश्यप, निवासी जनपद-बलरामपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1314/2025/3119(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1314/2025/3119/22-2-2023-17(942)/2023

दिनांक 04 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू पुत्र श्री रजऊ कश्यप, ग्राम-जैतापुर, थाना-गौरा, जनपद-बलरामपुर का निवासी है। श्रीमती लक्ष्मी द्वारा मृतक के साथ उसके घर पर रहने लगी थी, इसी रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2008 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तेजाब डालकर रज्जन कश्यप को गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1401/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 458 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10, लखनऊ के आदेश दिनांक 28.08.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ, खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है, बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2023 तक 14 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 02 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 31.01.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा तेजाब फेंक कर हत्या करने के आपराध की गम्भीरता को देखते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि श्रीमती लक्ष्मी रज्जन (मृतक) के साथ उसके घर पर रहने लगी थी, इसी रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2008 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तेजाब डालकर रज्जन कश्यप की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजू पुत्र रजऊ कश्यप को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।